"टिकीट चस्पा है"

(189) (9)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष/सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर केंप उज्जैन(म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक/पुनरीक्षण– /201 /

जगदीश पिता गोरधनदास लाठी उम्र 60 वर्ष
धंधा–कृषि एवं व्यापार निगरानी-0186/2019/देवास/भू.रा.सं.
तर्फे पंच माहेश्वरी समाज नागदा
निवासी नागदा तह व जिला देवास --प्रार्थी

545
17-1-19

प्रार्थी अभिभावक श्री प्रहलाद डागर
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 17/01/19
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा
कलेक्टर महोदय देवास (तर्फे पटवारी हल्का नम्बर 58, ग्राम नागदा तहसील देवास)

--विपक्षी

पुर्नरीक्षण अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 भुराजस्व संहिता

महोदय,

प्रार्थी की ओर से पुनरीक्षण आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. यह कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम नागदा में स्थित राम मंदिर पंच माहेश्वरी समाज नागदा के मालिकी स्वत्व एवं कब्जे का होकर मंदिर अर्थात मुर्ति के मालिकी की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 597 रकबा 2.85 एकड़ तथा सर्वे नम्बर 598 रकबा 0.87 हेक्टर कुल 3.62 एकड़ कृषि भूमि स्थित है। ग्राम नागदा के माहेश्वरी समाज के मालिकी स्वत्व एवं कब्जे का मंदिर एवं कृषि भूमि होने से मंदिर की पूजा अर्चना और कृषि भूमि पर कृषि कार्य माहेश्वरी समाज करता रहा है। इस संबंध में तत्समय माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय देवास द्वारा प्रकरण क्र. 46/1962 अपील में पारित आदेश दिनांक 19.01.63 की नकल प्रस्तुत की गई और तद्नुसार रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने हेतु धारा 32 भुराजस्व संहिता के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया यह आवेदन माननीय अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय देवास के न्यायालय में प्रकरण क्र. 16अ/06ए/2016–17 पर दर्ज होकर इसमें दिनांक 18.01.2018 को आदेश पारित किया गया, जिस अनुसार प्रार्थी का आवेदन अधिनस्थ न्यायालय ने अधिकार विहिन मानकर निरस्त कर दिया, इससें दुखित व असंतुष्ट होकर अपीलांट ने माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय देवास के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण क्र. 39/2017–18 पर दर्ज होकर, इस अपील को यह कहते हुए अनुविभागीय अधिकारी महोदय देवास ने भी निरस्त किया कि ***"शासकीय मदिरो की भूमि पर मूर्ति के अवयस्क होने से शासन के निर्देशानुसार राजस्व अभिलेख में प्रबंधक कलेक्टर दर्ज किया गया है"***, इस आदेश से तथा नायब तहसीलदार महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2018 से दुखित एवं असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील माननीय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन को प्रस्तुत की जो प्रकरण क्र. 1064अपील2017–18 पर दर्ज हुई, यह अपील माननीय आयुक्त महोदय

XXIX(a)-BR(H)-11

(30)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-0186/2019/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/08/2019	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 30.11.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	